प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 03.08.2025

- **थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा 3.5 किग्रा0 अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में एनडीपीएस अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना गजनेर पुलिस द्वारा मूसानगर रोड पर रेउना बार्डर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर स्कूटी नम्बर UP78GV3938 से नाजायज गाँजा लेकर आते समय दिनांक 03.08.2025 को अभियुक्त बदन सिंह पुत्र मुन्नू कंजड़ निवासी कंजड़ बस्ती कस्बा व थाना सचेण्डी कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष को मय 3.5 किग्रा नाजायज गाँजा के साथ मूसानगर रोड रेउना बार्डर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बदन सिंह पुत्र मुन्नू कंजड़ उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी कंजड़ बस्ती कस्बा व थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं सचेण्डी में रहता हूँ और जाति का कंजड़ हूँ मेरे जीवन यापन का अन्य कोई साधन नही है इसलिए मैं इस गांजा को 6,000 रुपये किलो में लेकर सचेण्डी में फुटकर में बेचता हूँ। यह गांजा एक आदमी बांदा से लेकर आया था और मुझे मूसानगर कानपुर देहात के पास तिराहे पर देकर गया था। उसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ। गांजा लेकर अपनी पत्नी की स्कूटी से सचेण्डी जा रहा था रास्ते में चेकिंग हो रही थी और मैं पकड़ा गया।

बरामदगी का विवरण-

1- 3.5 किग्रा नाजायज गाँजा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 232/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2- मु0अ0सं0 15/23 धारा 302/120बी भादवि थाना पनकी जनपद कानपुर नगर।
3- मु0अ0सं0 262/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस